-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 16.01.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **सूनसान स्थानों पर राहगीरों से झपट्टा मारकर मोबाइल छीनने वाले 02 अभियुक्तों को थाना कालिंजर पुलिस द्वारा सूचना के 02 घण्टे के भीतर किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तों ने दिनांक 15.01.2025 को थाना कालिंजर क्षेत्र के ग्राम बरुआ के पास से व्यक्ति का छीना था मोबाइल फोन। अभियुक्त के कब्जे से छीना हुआ मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना कालिंजर पुलिस द्वारा सूनसान स्थानों पर राहगीरों से झपट्टा मारकर मोबाइल छीनने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि कल दिनांक 15.01.2025 को थाना कालिंजर क्षेत्र के ग्राम बरुआ के रहने वाले विद्यानन्द राजपूत पुत्र भगवानदीन द्वारा थाना कालिंजर पर सूचना दी कि जब वह ग्राम बरुआ में एक नाई की दुकान के पास बैठा था तभी दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाश उसके हाथ से मोबाइल झपट्टा मारकर छीन ले गए। इस सम्बन्ध मे थाना कालिंजर पर अभियोग पंजीकृत करते हुए तत्काल टीम गठित कर अभियुक्तों की पहचान व गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे थे। इसी क्रम में थाना कालिंजर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तों की पहचान कर सूचना के 02 घण्टे के भीतर अभियुक्तों को कालिंजर-सतना बार्डर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तों के कब्जे से छीना हुआ मोबाइल फोन व घटना में शामिल मोटरसाइकिल बरामद हुआ है।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अदद मोबाइल (छीना हुआ)
- 01 अदद् मोटरसाइकिल (घटना में प्रयुक्त)
- 03 अदद् अन्य मोबाइल फोन (जामा तलाशी)

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

- मु0अ0सं0 06/25 धारा 304/317(2) बीएनएस थाना कालिंजर जनपद बांदा।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. शिवम अहिरवार पुत्र हरिविनोद अहिरवार निवासी श्रीनगर थाना सिंहपुर जनपद सतना (म0प्र0)।
2. विमल अहिरवार पुत्र हरिविनोद अहिरवार निवासी श्रीनगर थाना सिंहपुर जनपद सतना (म0प्र0)।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. प्र0नि0 कालिंजर श्री दीपेन्द्र कुमार सिंह
2. श्री कृष्ण प्रताप सिंह चौकी प्रभारी गुढ़ाकला
3. कां0 अंकित मलिक
4. कां0 सत्यम गुर्जर